न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 79/2018 (225 आरटीए) देवीकंवर बनाम सालगराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00142)

देवीकंवर पत्नी दोलाराम जाति सुथार निवासी कन्नोडिया पुरोहितान, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 सालगराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी रामनगर, मण्डला कलां, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लोहावट।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 24.04.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 323/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।

2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र चौधरी।

3 रेस्पो. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 30.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 323/2017 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 323/2017 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मण्डला कलां के खसरा नं. 512 रकबा 58 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है इस भूमि के चिपते ही अप्रार्थी/अपीलार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 511/3 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नं. 512 में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खसरा नं. 511/3 में

30/7

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से रास्ता चलता आ रहा है लेकिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से रंजिश रखते हुए उक्त रास्ते को बंद कर दिया है उस रास्ते को खुलवाया जावे तथा प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। रेस्पो. सं. 1 प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करने के उपरांत अपीलार्थी/अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा पत्रावली अपीलार्थी के जबाब में चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के जबाब को बिना रिकार्ड पर लिए तहसीलदार लोहावट की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता देने का अपीलाधीन आदेश के जरिए कर दिया अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र महज कयासी दलीलों पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा पेश की गई एकतरफा रिपोर्ट मौके के हालात के बिल्कुल विपरीत है। यह रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट के कहे अनुसार तैयार कर पेश कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना कोई जबाब पेश करने का मौका दिए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 512 पर पहुंचने के लिए पूर्व से ही एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था इस कारण धारा 251क के तहत नया रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था। मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व अपीलार्थी को सूचना नहीं दी गई, भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट सं. 1 के कहे अनुसार एक तरफा मौका रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस मौका रिपोर्ट पर अपीलार्थी को आपत्ति पेश करने का अवसर ही नहीं दिया गया तथा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। कानून का यह तयसुदा सिद्धांत है कि जहां आवागमन हेतु पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो फिर नया रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच नहीं की गई। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार काश्तकार की इच्छा के अनुसार नया रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर ही नया रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात

3/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर बिना कोई गौर किए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2016–17 (सप्लीमेंट) पेज 677 व आर.आर.टी 2016(1) पेज 649 पेश किए। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने जबाब पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए व पर्याप्त समय लगभग 5 माह का दिया गया उसके बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार जबाब बंद कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार मौके पर जांच करवाई तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. सं. 1 का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार स्वीकार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज योग्य है अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार औपचारिक पक्षकार है अतः प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी का जबाब नहीं लिया है व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया जिसके अनुसार दिनांक 18.01.2018 को तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी उसके पश्चात दिनांक दिनांक 05.03.2018 को अप्रार्थी/अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री प्रवीणसिंह राठोर ने वकलतनामा पेश किया व पत्रावली अप्रार्थी के जबाब में 15.03.18 व 23.03.18 को नियत की गई जबाब न दिए जाने पर 100 रु. की कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 09.04.18 को पत्रावली वास्ते जबाब नियत की गई। उसके बाद भी जबाब नहीं आने पर पत्रावली न्यायहित में एक और मौका दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24.04.18 को जबाब में रखी गई। लेकिन अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जबाब पेश नहीं किया व अंततः दिनांक 24.04.2018 को अप्रार्थी का जबाब बंद किया गया।

30/7

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि अप्रार्थी को पर्याप्त समय जबाब हेतु दिया गया। इसके अलावा प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2018 को ही प्राप्त हो चुकी थी तो अपने जबाब में मौका रिपोर्ट का खण्डन कर सकता था या अलग से आपत्ति दर्ज करवा सकता था इस प्रकार प्रकरण में पर्याप्त समय व अवसर दिए जाने के बावजूद कोई जबाब पेश नहीं किया गया न ही कोई आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई अतः अपीलांट का कथन कि उन्हें जबाब देने व आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया, अभिलेख रिकार्ड से पुष्ठि नहीं होती है।

अपीलांट के अधिवक्ता का दूसरी आपत्ति यह है कि रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 512 पर पहुंचने के लिए पूर्व से ही एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था इस कारण धारा 251क के तहत नया रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था। इस कथन की पुष्ठि में अप्रार्थी ने वैकल्पिक रास्ते का पूर्ण विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलांट के इस कथन पर बिना किसी पूर्ण विवरण एवं बिना किसी दस्तावेज के विश्वास नहीं किया जा सकता। मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शे से भी कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपीलांट का यह कथन है कि प्रकरण की मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है इसलिए इस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। लेकिन मौका रिपोर्ट में यदि वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने या नहीं होने का कथन अंकित नहीं है तो भी यह नहीं माना जा सकता कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट ने केवल कथन किया है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो उसका विवरण तक नहीं दिया है कि किधर से उपलब्ध है ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं। दूसरी ओर मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से वैकल्पिक रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार वैकल्पिक रास्ते के अभाव को मौका रिपोर्ट में अंकित नहीं करने के तकनीकी तथ्य को आधार बनाया जाना प्रतीत होता है। यदि अप्रार्थी को वैकल्पिक रास्ते के बारे में आपत्ति उठानी थी तो पूर्ण विवरण पेश करते या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जबाब में लेकर आते लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा नहीं किया अतः इस स्टेज पर वैकल्पिक रास्ता होने का तथ्य बिना पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं हैं।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के विवेचन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 512 रकबा 58 बीघा 10 बिस्वा ग्राम रामनगर की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई मार्ग नही पाया जाने से तहसीलदार लोहावट की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिलाना न्यायोचित है। उसके पश्चात पूर्ण विवेचन कर एवं उभयपक्षकारान के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट का कथन है कि प्रकरण धारा 251क से संबधित बनाए गए नियम 69 की पालना नहीं की गई है। लेकिन इस प्रकरण में पत्रावली पर मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2018 को ही उपलब्ध थी व उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने जबाब के लिए पर्याप्त अवसर दिए उसके बाद भी जबाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी प्रार्थना पत्र के जबाब में मौका रिपोर्ट का भी खण्डन कर सकता था व अन्य आपत्ति भी पेश कर सकता था परंतु अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर व समय दिया गया यहां तक कि कोस्ट पर भी अवसर दिए गए। अतः इस प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं करने की स्थिति पैदा नहीं होती है। इस न्यायालय के समक्ष भी कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं अतः इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचन उपरांत यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2018 यथावत रखा जाता है।

30/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर